

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/7033 /

जबलपुर, दिनांक 27/09/2023

श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिनांक 30.06.2023, 01.7.2023 एवं 04.07.2023 को निरस्त किया जाता है एवं अवकाश लेने के आदी होने के कारण दिनांक 10.06.23 से 16.06.23 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30.06.23 से 14.07.23 तक 15 दिन (कुल 22 दिन) का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है साथ ही चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अवकाश उपभोग के संबंध में सतर्क रहे।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय
के आदेशानुसार

सही / -

(हेमन्त जोशी)


प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

पृष्ठांकन क्रमांक B/7034 /

जबलपुर, दिनांक 27/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(मोहित दीक्षानि) 26/9/23
रजिस्ट्रार (न्यायिक-एक)